बिहार सरकार
उद्योग विभाग
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना

निविदा आमंत्रण सूचना

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना के परिसरों की साफ–सफाई एवं बागबानी हेतु निम्नांकित शाखाओं में कर्मियों की आवश्यकता है:–

क्र0	कार्य कराये जाने वाले शाखा का नाम	कर्मियों की आवश्यकता	अभियुक्ति
1	प्रशासनिक भवन, प्रथम एवं द्वितीय तल, (तीनो म्यूजियम, बिक्री केन्द्र, गेस्ट हाउस) इत्यादि	03	
2	पटना हाट	01	
3	छात्रावास	01	
4	तकनीकी शाखा	01	
5	माली (बागवानी हेतु)	02	
6	स्वीपर (संस्थान के सभी बाथरूम के साफ–सफाई हेतु)	02	
	कुल	10	

उक्त कार्यबल की आपूर्ति हेतु इभेंट मैनेजर/फर्म से दिनांक **06.07.2020** को **12** बजे अप0 तक उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना के कार्यालय में निविदा प्राप्त की जायेगी, जिसे उसी दिन **2** बजे अप0 में सभी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों/फर्मो अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निदेशक, संस्थान के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा।

निविदा की शर्तें

1. वर्ष (2017–18, 2018–19) का आयकर रिटर्न एवं GST भुगतान प्रमाण–पत्र की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को **PAN CARD, GST** निबंधन प्रमाण–पत्र एवं श्रम संसाधन विभाग का निबंधन प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. EPF एवं ESIC निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
4. संविदा की अवधि एक वर्ष की होगी। किन्तु कार्य के असंतोषजनक/संतोषजनक रहने के आधार पर अवधि घटायी–बढ़ायी जा सकती है।
5. इस कार्य हेतु निविदा द्वि–लिफाफा प्रणाली के तहत तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफा में डालकर उक्त पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अंकित करना होगा तथा फिर दोनों को एक तीसरे लिफाफा में सीलबंद कर जमा करना होगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।
6. निविदा के साथ सुरक्षित राशि के रूप में 10,000/– (दस हजार) रूपये का बैंक ड्रॉफ्ट देना होगा जो निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के नाम देय होगा। बैंक ड्रॉफ्ट तकनीकी निविदा के साथ देना होगा। इस राशि को वापस नहीं (Non-Refundable) किया जायेगा।
7. निविदादाता का विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष टर्न ओभर कम से कम एक करोड़ रू0 होना अनिवार्य है। इस संबंध में सी0ए0 द्वारा सत्यापित Balance Sheet की प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
8. वित्तीय निविदा में कार्यबल एवं साफ–सफाई हेतु विभिन्न करों एवं अन्य दायित्व यथा EPF, ESIC, सेवा चार्ज सहित सभी व्यय का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
9. किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/संस्थान/निगम/बोर्ड/विभाग में साफ–सफाई एवं बागवानी में पॉच वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इस प्रसंग का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
10. सफाई, सेनिटाईजेशन एवं बागवानी में उपयोग किये जाने वाले उपकरण, संयत्र के साथ ही साफ–सफाई एवं सेनिटाईजेशन सामग्री (रासायन सहित) एवं संस्थान द्वारा चयनित फूलों का पौधा निविदादाता/संस्था को उपलब्ध कराना होगा। इन कार्यों का अलग से औचित्यपूर्ण राशि को वित्तीय निविदा में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। दिये गये राशि के औचित्य पर निविदा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
11. निविदादाता/संस्था को सफाई हेतु किसी प्रकार की कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगी व विपत्र का भुगतान राशि/आवंटन की उपलब्धता के आधार पर ही होगी।
12. सफल निविदादाता का दर श्रम संसाधन विभाग से साफ–सफाई करने हेतु निर्धारित दर से कम रहने पर मान्य नही होगा। सरकार एवं श्रम संसाधन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी दर की राशि का भुगतान का अनुपालन एवं निर्धारित मजदूरी से संबंधित मानकों का पालन निविदादाता/संस्था की जिम्मेवारी व वैधानिक रूप से बाध्यकर होगी।
13. निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।
14. अन्य किसी प्रकार की जानकारी किसी कार्य दिवस को उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है। इसे संस्थान के बेवसाइट **www.umsas.org.in** पर सम्पर्क किया जा सकता है।
15. त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
16. सफाईकर्मी एवं निविदादाता के बीच किसी भी संभावित विवाद की स्थिति में संस्थान की कोई भूमिका नहीं होगी।

Sinha
निदेशक 15-6-2020
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।

Nividha-90